



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 107-2021/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 6, 2021 (ASADHA 15, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 जुलाई, 2021

**संख्या 43/जी०एस०टी०-2.-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं, जो नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय राज्य कर से उस सीमा तक छूट देते हैं जितने से वह उक्त सारणी के खाना (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती हो, अर्थात्:-

सारणी

| क्रम संख्या | अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद | मालों का विवरण  | दर    |
|-------------|---------------------------------------|---|-------|
| (1)         | (2)                                   | (3)   | (4)   |
| 1           | 2804                                  | मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन  | 2.5%  |
| 2           | 30                                    | टोसीलीजुमेब   | शून्य |
| 3           | 30                                    | एम्फोटेरिसिन बी   | शून्य |
| 4           | 30                                    | रेमडेसीवीर  | 2.5%  |
| 5           | 30                                    | हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)  | 2.5%  |
| 6           | 3002 या 3822                          | कोविड-19 टेस्टिंग किट्स   | 2.5%  |
| 7           | 3002 या 3822                          | इनफलोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स, जैसे कि आई एल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेट डी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो कैलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स | 2.5%  |
| 8           | 3808 94                               | हैंड सेनेटाइजर  | 2.5%  |

| क्रम संख्या | अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद | मालों का विवरण  | दर   |
|-------------|---------------------------------------|---|------|
| (1)         | (2)                                   | (3)   | (4)  |
| 9           | 6506 99 00                            | हेलमेट्स, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए  | 2.5% |
| 10          | 8417 या 8514                          | क्रिमेटोरियम में प्रयोग के लिए गैस/इलैक्ट्रिक/ अन्य प्रकार की भट्टियाँ  | 2.5% |
| 11          | 9018 19 या 9804                       | पल्स ऑक्सीमीटर  | 2.5% |
| 12          | 9018                                  | हाई फलो नेस्ल कैनूला डिवाइस   | 2.5% |
| 13          | 9019 20 या 9804                       | ऑक्सीजन कंसंटेन्टर/जनरेटर   | 2.5% |
| 14          | 9018 या 9019                          | वेंटिलेटर   | 2.5% |
| 15          | 9019                                  | बाई पीएपी मशीन  | 2.5% |
| 16          | 9019                                  | (i) नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्ल मास्क, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए<br>(ii) केनुला, वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए | 2.5% |
| 17          | 9025                                  | ताप मापक उपकरण  | 2.5% |
| 18          | 8702 या 8703                          | एंबुलेंसेस  | 6%   |

- यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तिथि भी शामिल है, तक लागू रहेगी।
- यह अधिसूचना 14 जून, 2021 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 6th July, 2021

**No. 43/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, from the so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as in excess of the amount as specified in corresponding entry in column (4) of the Table aforesaid:

Table

| Serial Number | Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item | Description of Goods  | Rate |
|---------------|--|---|------|
| (1)           | (2)  | (3)   | (4)  |
| 1             | 2804   | Medical Grade Oxygen  | 2.5% |
| 2             | 30   | Tocilizumab   | Nil  |
| 3             | 30   | Amphotericin B  | Nil  |
| 4             | 30   | Remdesvir   | 2.5% |
| 5             | 30   | Heparin (anti-coagulant)  | 2.5% |
| 6             | 3002 or 3822                                 | Covid-19 testing kits   | 2.5% |
| 7             | 3002 or 3822                                 | Inflammatory Diagnostic (marker) kits, namely- IL6, D-Dimer, CRP (C-Reactive Protein), LDH (Lactate De-Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents. | 2.5% |
| 8             | 3808 94                                      | Hand Sanitizer  | 2.5% |
| 9             | 6506 99 00                                   | Helmets for use with non-invasive ventilation   | 2.5% |
| 10            | 8417 or 8514                                 | Gas/Electric/other furnaces for crematorium   | 2.5% |
| 11            | 9018 19 or 9804                              | Pulse Oximeter  | 2.5% |
| 12            | 9018   | High flow nasal canula device   | 2.5% |
| 13            | 9019 20 or 9804                              | Oxygen Concentrator/ generator  | 2.5% |
| 14            | 9018 or 9019                                 | Ventilators   | 2.5% |
| 15            | 9019   | BiPAP Machine   | 2.5% |
| 16            | 9019   | Non-invasive ventilation nasal or oronasal masks for ICU ventilators  | 2.5% |
| 17            | 9025   | Temperature check equipment   | 2.5% |
| 18            | 8702 or 8703                                 | Ambulance   | 6%   |

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th September, 2021.
3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 14th June, 2021.

ANURAG RASTOGI,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.